टी बोर्ड भारत Tea Board India
14, बी.टी.एम सरनी (ब्रेबोर्न रोड) कोलकाता 700 001
14, B.T.M Sarani (Brabourne Road) Kolkata 700 001
www.teaboard.gov.in

संदर्भ सं. 6(29)/एलसी/जेन/11-13/भाग-III/ वॉल्यूम 3/2017/384 दिनांक 01.04.2024

आदेश

विषय: 100% अवशिष्ट श्रेणी चाय की नीलामी पर संशोधित समिति के संबंध में।

19 मार्च, 2024 को टी बोर्ड, कोलकाता में विभिन्न सम व्यवसाई हितधारको के साथ आयोजित विचार-विमर्श के अनुसरण में और सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से 100% अवशिष्ट श्रेणी चाय की बिक्री की समग्र निगरानी के लिए सर्वसम्मति से आदेश सं. 6(29)/एलसी/जनरल/11-13/पी-III/ वॉल्यूम 3/2017/364 दिनांक 08.03.2024 के तहत टी बोर्ड द्वारा निम्नानुसार संशोधित समिति का गठन किया गया है:-

1. श्रीमती रजनीगंधा सील नस्कर, अनुज्ञापन नियंत्रक, टी बोर्ड
2. श्री हेमन्त बांगुर, अध्यक्ष, भारतीय चाय संघ (आईटीए)
3. श्री अजय जालान, सदस्य, चाय संघ भारत (टीएआई)
4. श्री देवोश्याम बरुआ, अध्यक्ष, असम चाय बागान प्लांटर्स संघ (एटीपीए)
5. श्री गौतम बेरिया, सचिव, पत्ती क्रय चाय निर्माता संघ असम (एबीएलटीएमए)
6. श्री मोहित अग्रवाल, निदेशक, भारतीय चाय निर्यातक संघ (आईटीआई)
7. श्री अरबिंद नायक, मानद सचिव, फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया टी ट्रेडर्स एसोसिएशन (एफएआईटीटीए)
8. श्री गौरव घोष, अध्यक्ष, चाय नीलामीकर्ता संघ (एटीए)

उपरोक्त उल्लिखित आदेश में वर्णित संदर्भो की शर्तों के अलावा, समिति निम्नलिखित मुद्दों पर भी गौर करेगी:-
(i) नीलामी में चाय सूची की छपाई का वर्तमान समय 19 दिन से घटाकर 7 दिन करना, और
(ii) 100% अवशिष्ट श्रेणी चाय संचालन के संबंध में मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी)।

यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(सौरव पहाड़ी)
उपाध्यक्ष एवं पंजीकरण प्राधिकारी

वितरण:

1. समिति के सदस्य
2. सभी चाय उत्पादक संघ
3. सभी क्रेता संघ
4. सभी चाय निर्यातक संघ
5. सभी पंजीकृत नीलामी आयोजक
6. चाय नीलामीकर्ताओं का संघ (एटीए)
7. सभी आंचलिक/क्षेत्रीय कार्यालय
8. एनएसईआईटी लिमिटेड
9. एमजंक्शन सर्विसेज लिमिटेड
10. आईटी कक्ष ---बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु